**न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय**
**अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल**
सुपौल थाना कांड संख्या– 613/25

**जमानत आवेदन सं0 – 32/2026**

**संजीव कुमार यादव उर्फ एन0 टी0 आर0 यादव पे0 शिव नारायण यादव**
**सा0– कृष्णापुरी वार्ड नं0 04,**
**नगरपरिषद्, सुपौल, थाना– सुपौल, जिला– सुपौल.....आवेदक**

**बनाम्**

**बिहार सरकार.....विपक्षी**

**एवं साथ में**

**जमानत आवेदन सं0 – 127/2026**

**राजा सिंह उर्फ प्रशान्त कुमार पे0 कैसरी सिंह**
**सा0– इन्द्रानगर, वार्ड नं0 03, थाना वो जिला–सुपौल.....आवेदक**

**बनाम्**

**बिहार सरकार.....विपक्षी**

---

**26/03/26**

काराधीन अभियुक्त संजीव कुमार यादव उर्फ एन0टी0 आर0 यादव एवं राजा सिंह उर्फ प्रशान्त कुमार की ओर से अलग–अलग दाखिल जमानत आवेदनों यथा जमानत आवेदन संख्या– 32/26 एवं 127/2026 को आज उनके विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा चालित किया गया। चूँकि उपरोक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही थाना काण्ड संख्या यथा सुपौल थाना काण्ड संख्या– 613/2025 से सम्बंधित हैं, अतः निष्पादन हेतु उपरोक्त दोनों जमानत आवेदनों की सुनवाई एक साथ की गयी।

उपरोक्त नामित आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है तथा उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण को ग्रामीण राजनीति के तहत् झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त संजीव कुमार के विरुद्ध वर्तमान वाद के अलावे अन्य दो वाद दर्ज है जिसमें वह जमानत पर है। प्रार्थी अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 308(2), 308(5) BNS के तहत् लगाया गया आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण व सूचक आपस में मिलकर व्यापार करते थे इसी संबंध में प्रार्थी आवेदक के द्वारा सूचक से अपने हिस्से का रूपया मांगने पर सूचक के द्वारा प्रस्तुत मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कहना है कि सूचक या अन्य किसी के साथ कोई मारपीट, रंगदारी या अन्य कोई आपत्तिजनक कार्य नहीं किया गया है बल्कि साजिश के तहत् झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त संजीव कुमार दिनांक 23/12/2025 से एवं प्रार्थी अभियुक्त राजा सिंह उर्फ प्रशांत कुमार दिनांक 08/01/2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी अभियुक्तगण न्यायालय का हर शर्त मानने को तैयार है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रार्थी अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अबू जफर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

प्रस्तुत वाद सूचक रंजीत कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 126(2), 115(2), 352, 351(2), 308(5), 3(5) बी0 एन0 एस0 के अंतर्गत दर्ज है। सूचक का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 14/12/2025 को वह अपने घर से ब्रेजा VXI (बी0आर0 50 AE0199) से अपने मित्र मनोज कुमार साह के साथ सुपौल सदर प्रखंड अंतर्गत महुआ, चैनसिंहपट्टी निवासी श्री लाल कुमार के घर पर 11 बजे लगभग गया। वहां तकरीबन 1 घंटा रूकने के बाद सुपौल बाजार के लिए प्रस्थान किया जैसे ही सुपौल नगर परिषद् वार्ड नं0 04 स्थित महुआ रोड आरा मिल एवं महादलित टोला के समीप पहुँचा तो उसके गाड़ी को रोक कर राजा सिंह, संजीव कुमार यादव उर्फ एन0टी0आर0 यादव ने बेरहमी से मारपीट कर अपहरण कर लिया तथा इनलोगों के साथ 5–6 अज्ञात अपराधी थे सभी लोग अवैध हथियार व धारदार अस्त्र से लैश थे। अपहरण के पश्चात् 300 मीटर दूर महादलित टोला के बगल में गजना धार के निकट बांस गाछी के समीप ले जाकर

**लगातार**

**न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय**
**अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल**
सुपौल थाना कांड संख्या– 613/25

| | | |
|---|---|---|
| **26/03/26**<br>**लगातार** | उसे पूर्णरूपेण नग्न कर बेरहमी से लोहे की रॉड से मारपीट करते हुए मुदालहगण के द्वारा विडियों बनाया गया। सूचक अपने जान की भीख मांगते रहा फिर भी राजा सिंह अंधाधून मारपीट करते रहे। सूचक के पॉकेट में 25 हजार रूपया नगद था ले लिया गया तथा मारपीट करते हुए राजा सिंह के द्वारा 48 घंटे के भीतर 10 लाख रूपया रंगदारी की मांग करते हुए छोड़ दिया गया और ससमय रंगदारी नहीं देने या पुलिस प्रशासन में शिकायत करने पर संपूर्ण परिवार की हत्या करने की धमकी भी दिया।<br><br>स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि उक्त व्यक्ति मोस्ट वांटेड अपराधी हैं। उनलोगों के उपर पहले से भी कई थानों में मामला दर्ज है। सूचक को आशंका है की कभी और किसी भी वक्त वे लोग उसकी हत्या कर सकते हैं। इस घटना को लेकर सूचक के मित्र लाल कुमार के द्वारा 12.53 बजे दिन में पुलिस हेल्प लाईन नं0 112 पर डायल कर घटना की सूचना दिया गया। तकरीबन 20 मीनट के बाद पुलिस दल पहुँचे।<br><br>सुना व अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी वादी को नग्न कर अश्लील विडियो बनाकर मारपीट करने एवं 10 लाख रूपये रंगदारी मांगने एवं रंगदारी नहीं देने पर अश्लील विडियो वायरल करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। कांड दैनिकी के कंडिका 2 में वादी का पुनः बयान अंकित है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि प्रार्थी अभियुक्तगण मोस्ट वाण्टेड अपराधी है तथा उनपर पूर्व से कई मुकदमें दर्ज है इसलिए उन्हें आशंका थी कि प्रार्थी अभियुक्तगण को वह समय से रंगदारी नहीं दिया तो उसका नग्न अवस्था वाला विडियों वायरल कर देंगे, इसी तरह का बयान कंडिका 5 एवं 6 में साक्षियों ने भी दिया है। कांड दैनिकी के कंडिका 61 एवं 62 में प्रार्थी अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास का वर्णन है जिसमें उनके विरुद्ध इस कांड के अलावे अन्य कोई कांड दर्ज नहीं बताया गया है। कंडिका 65 से स्पष्ट होता है कि अनुसंधानकर्ता ने कांड में अनुसंधान पूर्ण कर प्रार्थी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया कर दिया है तत्पश्चात् विद्वान न्यायालय द्वारा संज्ञान भी लिया जा चुका है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण है आरोप पत्र समर्पित है एवं संज्ञान भी हो चुका है इसलिए प्रार्थी अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में रखना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी अभियुक्तगण का साक्ष्य के साथ छेडछाड़ करने की भी कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थी अभियुक्त संजीव कुमार दिनांक 23/12/2025 से लगभग तीन महीन से ज्यादा से एवं प्रार्थी अभियुक्त राजा सिंह उर्फ प्रशांत कुमार दिनांक 08/01/2026 से लगभग ढाई महीने से न्यायिक अभिरक्षा में है।<br><br>उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा कारा में बिताई गयी अवधि को देखते हुए प्रार्थी अभियुक्त संजीव कुमार यादव उर्फ एन0टी0 आर0 यादव ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या – 32/26 एवं प्रार्थी अभियुक्त राजा सिंह उर्फ प्रशान्त कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन 127/26 स्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार उपरोक्त दोनो नामित प्रार्थी अभियुक्तगण को संबंधित न्यायालय के संतुष्टिकारक मो0 10,000/– रूपये के समान राशि के दो–दो जमानतदारों के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है किः–<br>1. प्रार्थी अभियुक्तगण का एक–एक जमानतदार उसके माता/पिता/नजदीकी रिस्तेदार होंगे।<br>2. प्रार्थी अभियुक्तगण बंध पत्र दाखिल करते वक्त विद्वान निम्न न्यायालय में इस आशय का वचनबद्धता दाखिल करेगा कि वह भविष्य में इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं रहेगा, यदि पाया गया, तो विद्वान निम्न न्यायालय प्रार्थी अभियुक्तगण बंध पत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र होगा।<br>3. प्रार्थी अभियुक्तगण वाद के विचारण में सहयोग करेगा।<br><br>लेखापित<br><br>(राकेश कुमार–तृतीय)<br>अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय<br>सुपौल | |
| | | |